Reliance Jio
Infocomm Limited

Date: 05/10/2018

To,

The Divisional Forest Officer

Forest Division

Damoh (M.P.)

Sub : Letter Ref No क्रमांक / मा. चि./2018/2624 Dated :- 01/10/2018

Dear Sir,

This is in reference with the above mentioned subject we would like to inform you that, Reliance Jio is on its way forward to make Madhya Pradesh a first digital State in India bringing in high speed broadband revolution impacting best educational and business process. In order to do the same we have been laying fiber and erecting towers for most advanced 4G Wi-Fi infrastructure at Damoh District with all due permission from the respective authority .

For Above mentioned letter which we have received, we are submitted the agreement.

Enclosed:-

1- Agreement.

Regards

Authorised Signatory

Reliance Jio Infocomm Ltd.

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH AY 382409

वचन–पत्र

विषयः– Request for granting permission for laying O...ical Fiber Cable Abhana to Dhansara Road total lengths 11.21 km (0.590 ha.)

संदर्भ:– वन मंडल अधिकारी दमोह का पत्र कमांक/मानि./2018/2624 दिनांक 01.10.2018.

-------------000-------------

1. स्वीकृति के अधीन ओ.एफ.सी. लाईन निर्माण का विवरण निम्नानुसार है:–

कमांक	परिक्षेत्र का नाम	वन कक्ष कमांक	प्रभावित वनभूमि		
			लंबाई मी.	चौड़ाई मी.	क्षेत्रफल हे.मे.
1	सगोनी	RF 417, RF 418, RF 419, RF 423, RF 424, RF 415	[illegible] M	0.60 M	0.534

2. म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश कमांक/एफ–5/16/200/10–3 दिनांक 12 सितम्बर 2008 के निर्देशानुसार अंडरग्राउड ओ.एफ.सी. लाईन के प्रकरणों में नेटप्रेजेट वैल्यू की राशि से छूट प्रदान की गई है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुडा भवन भोपाल का पत्र कमांक/एफ–5/विविध/2018/10–11/725 दिनांक 12.03.2018 के निर्देशानुसार यदि प्रकरण में एन.पी.व्ही अथवा अन्य कोई राशि नहीं ली जाना है, तो भी आवेदक संस्था को ऑन–लाईन राशि 100.00 रूपये राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम) के अनुमोदन उपरांत ई पोर्टल के माध्यम से केम्पा खाते के अन्य मद मे जमा कर पुष्टि हेतु जमा की गई राशि की जानकारी शीघ्र आपके कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी।

3. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के क्षेत्र में यह स्वीकृति लागू नहीं होगी।

4. वन भूमि व्यवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राइट ऑफ वे के तहत है, राइट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।

RELIANCE JIO INFOCOMM LTD. DAMOH

Scanned by CamScanner

5. वन भूमि पर भूमिगत आप्टीकल फ्राईवर केविल/भूमिगत टेलीफोन लाइन केविल बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती का आकार 2 मीटर गहरा तथा 0.60 मीटर चौड़ाई से अधिक नहीं होगा। खोदे गये गढ़डों को आवेदक द्वारा पूरा जाकर समतल स्थिति में लाया जावेगा।

6. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।

7. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।

8. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्था के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई निकाली गई मिट्टी से संबंधित वनाधिकारी की उपस्थिति में किया जाकर सूचना वन मंडल अधिकारी को आवेदक स्वयं लिखित में देगा।

9. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र से उत्खनन् नहीं किया जावेगा।

10 खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुँचाई जावेगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।

11 यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है ,तो वन मण्डल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।

12 सूर्यास्त के बाद उक्त कार्य नही किया जावेगा ।

13 इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि आपके द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र में ही कार्य किया जावेगा, अन्य वन क्षेत्रों में नहीं।

14 औचारिक स्वीकृति जारी दिनांक से मात्र 06 माह की अवधि तक के लिये वैद्य होगी, इसके उपरांत स्वीकृति स्वमेव ही समाप्त हो जावेगी।

15 किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः समाप्त मानी जावेगी, एवं वन मंडल अधिकारी दमोह वन मंडल दमोह को तत्काल प्रभाव से कार्य बंद करने का पूर्ण अधिकार होगा।

16 आवेदक संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पालन किया जावेगा।

17 म.प्र.शासन वन विभाग के आदेश कमांक एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12 सितम्बर 2008 द्वारा अंडरग्राउड ऑप्टीकल फाईबर केवल लाईन को डालने के प्रकरणों में एन.पी.व्ही की राशि से छूट दी गई है। यदि भविष्य में भारत सरकार/राज्य शासन/प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र., द्वारा एन.पी.व्ही. जमा करने सहित अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो सभी शर्तें आवेदक संस्थान को मान्य होगी।

RELIANCE INFOCOMM LTD. DAMOH

मैं शहनावाज अहमद आर.ओ.डब्ल्यू. (सहायक प्रबंधक) रिलाईश इंन्फोकॉम लि. भोपाल सत्यापित करता हूँ कि वचन पत्र में वर्णित शर्त कमांक 01 से 17 तक का पालन करने का वचन देता हूँ।

RELIANCE INFOCOMM LTD. DAMOH

Scanned by CamScanner